


कार्यालय आदेश

मैं डॉ. महेन्द्र सोलंकी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा एतद्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 15(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश देता हूँ कि **माह जून, जुलाई 2023** में राजकीय अवकाश दिवसों पर रिमाण्ड व अन्य आवश्यक कार्य अधोलिखित सूची अनुसार न्यायिक अधिकारियों द्वारा सम्पादित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त रिमाण्ड अधिकारी द्वारा विधि अनुसार मृत्युकालिक कथन लेखबद्ध करने एवं कस्टोडियल डेथ की मजिस्ट्रेट जाँच के कार्य भी सम्पादित किये जायेंगे।

माह जून 2023			
क्र. सं.	दिनांक एवं अवकाश	रिमाण्ड अधिकारी	सम्पर्क नंबर
1	04.06.2023 रविवार	श्री यशवंत आमेरिया ए.सी.जे.एम. कुशलगढ़	श्री दिनेश बैरागी रीडर 73397 11072
2	10.06.2023 द्वितीय शनिवार 11.06.2023 रविवार	श्री पूरनसिंह मीना, ए.सी.जे.एम. बांसवाड़ा	श्री राजेन्द्र व्यास रीडर 98879 60681
3	18.06.2023 रविवार	श्रीमती नीलम नाहर जे.एम. बांसवाड़ा	श्री रकमचन्द रीडर 91669 00205
4	24.06.2023 चतुर्थ शनिवार 25.06.2023 रविवार	सुश्री ललिता सोनी, जे.एम. गढ़ी	श्री राजेन्द्र भोई रीडर 94146 45887
5	29.06.2023 ईद-उल-अजहा	श्री नवीन मीणा, जे.एम. बागीदौरा	श्री अशोक मीणा रीडर 94138 50886
माह जुलाई 2023			
1	02.07.2023 रविवार	सुश्री ललिता सोनी, जे.एम. गढ़ी	श्री राजेन्द्र भोई रीडर 94146 45887
2	08.07.2023 द्वितीय शनिवार 09.07.2023 रविवार	श्री नवीन मीणा, जे.एम. बागीदौरा	श्री अशोक मीणा रीडर 94138 50886
3	16.07.2023 रविवार	श्री पूरनसिंह मीना, ए.सी.जे.एम. बांसवाड़ा	श्री राजेन्द्र व्यास रीडर 98879 60681
4	22.07.2023 चतुर्थ शनिवार 23.07.2023 रविवार	सुश्री भारती उपाध्याय, न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय तलवाड़ा	श्री पवन शाह रीडर 94147 22574
5	29.07.2023 मोहर्रम 30.07.2023 रविवार	सुश्री रीतिका श्रोती ए.जे.एम. बांसवाड़ा	श्री संदीप नानावटी रीडर 94134 54702

नोट:-

- रिमाण्ड ड्यूटी उक्त दिनांक के पूर्व कार्य दिवस को न्यायालय समय पश्चात् से आरम्भ होगी एवं आगामी कार्य दिवस को न्यायालय समय पूर्व तक रहेगी तथा किन्हीं परिस्थितियों में आगामी दिवस का अवकाश घोषित होने पर उस दिन व उस दिन से आगामी कार्यदिवस के कार्यालय समय प्रारम्भ होने तक आवश्यक फौजदारी कार्य का सम्पादन उसी अधिकृत अधिकारी के द्वारा किया जावेगा।
- उपरोक्त अवधि में किसी पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाता है अथवा पीठासीन अपरिहार्य राजकार्य से यथा ट्रेनिंग आदि में मुख्यालय से बाहर जाने पर अथवा किसी कार्य दिवस पर तात्कालिक रूप से अवकाश घोषित कर दिए जाने की अवस्था में उस दिवस से पूर्ववत अवकाश दिवस पर रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करने वाले अधिकारी द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी संपादित की जावेगी।
- प्रत्येक उक्त न्यायिक अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उक्त तिथियों पर अपने मुख्यालय पर उक्त कार्य निष्पादन हेतु उपलब्ध रहेंगे। किसी विशेष परिस्थिति में माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बांसवाड़ा से पूर्व अनुमति लेते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में इस कार्यालय को सुझाव देते हुए ही मुख्यालय छोड़ सकेंगे।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा (राज.)